न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 182/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/202)

1. कयामुद्धीन] पुत्रान
2. जलालुद्धीन]
3. कदीर
4. साबिर
5. जरीना बेगम पुत्री अमरद्धीन
6. इरफान पुत्र अब्दुल सलाम
7. शवाना बेगम पुत्री अब्दुल सालाम
8. रेशमा पुत्री अब्दुल सलाम
9. जुवेदा पुत्री अब्दुल सलाम

समस्त जाति मुसलमान निवासीयान नीम चौकी शहर, सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपवन सरंक्षक एवं उपनिदेशक (कोर) बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाईमाधोपुर जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर।
2. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 9.9.2002 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 35/17 राज0 सरकार बनाम कयामुद्धीन वगैरह।

उपस्थितिः–

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से उपवन सरंक्षक एवं उपनिदेशक (कोर) बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाईमाधोपुर जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर के द्वारा तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ, भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 9 के पिता अमरदीन निवासी मौहल्ला नीम चौकी शहर सवाईमाधोपुर को दिनांक 07.01.1973 को ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित साविक

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

आराजी खसरा नम्बर 928/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा व खसरा नम्बर 928/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा भूमि के किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुये भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलान्टस के पिता को दिनांक 7.1.1973 को ग्राम आलनपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 928/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा तथा 928/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा भूमि के किये गये आवंटन को अपीलाधीन अदेश दिनांक 28.8.2019 से निरस्त कर दिया गया है। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.8.2019 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। विवादग्रस्त भूमि सविक आराजी खसरा नम्बर 928/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 928/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा कुल किता–2 रकबा 4 बीघा रकबा 14 विस्वा पर अपीलान्ट संख्या 1, 2, 3, 4 के पिता का हमेशा से कब्जा काश्त होने के कारण एवं अपीलान्टस का पिता भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 07.01.1973 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नियमन की गई अभिशंषा के आधार पर नियमानुसार आवंटन/नियमन की गई थी। अपीलान्ट की ओर से नियमन के आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति अपील के साथ पेश की गई हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा होने के संबंध में सम्वत 2025 से 2028 तक की खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें यह उल्लेखित है कि विवादित भूमि की किस्म बंजर भूमि है, जिसका नियमन किया जा सकता है। तहसील सवाई माधोपुर में सैटलमेंट होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान अपीलान्ट को आवंटित साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बर बनाए हैं। उक्त नवीन खसरा नम्बरान को अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज नहीं किये जाने के कारण अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में मुताबिक कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का दिनांक 15.01.2008 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जबाब भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन रैस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भी आज तक प्रस्तुत नहीं की गई। इस संबंध में उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में उनवानी प्रकरण संख्या 137/09 कयामुद्धीन बनाम सरकार के नाम से विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.02.2020 तलबी व तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु नियत थी। भूप्रबन्ध विभाग की ओर से सविक खसरा नम्बर 928 का हाल खसरा नंबर 1201 रकबा 1.18 है0 अपीलान्टस के नाम दर्ज किया गया है, जो कि आवंटन के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से हाल जमाबन्दी एवं मिलान

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खसरा नम्बरों की फोटो प्रति भी पेश की गई है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधिसंगत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण भी निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लैण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार बनाये बिना ही कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जबकि भूमिधारी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट को नियमित की गई भूमि पर 50 सालों से कब्जा होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने 46 वर्ष पूर्व हुये नियमन आवंटन को निरस्त करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के स्वत्व व अधिकार छीने गये हैं, जो कि अपीलान्ट के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि 46 वर्ष पूर्व हुये नियमानुसार नियमन /आवंटन को एवं 50 साल से भी अधिक कब्जे को 14(4) के प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता और न ही खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। दिनांक 07.01.1973 को अपीलान्टस के पिता के नाम उक्त भूमि नियमानुसार आवंटन/नियमन की गई थी जिस पर अपीलान्टस के पिता व अपीलान्टस सदैव से काबिज है व आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 7.1.1973 के परिपेक्ष्य में मालिकाना हक भी रखते हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस बजह से मात्र 14(4) के प्रार्थना पत्र की आड में इस प्रकार की खातेदारी की भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट को उनके पैतृक व विरासतन हक हकूको से महरूम किया गया है। 14(4) के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया जाकर किसी भी खातेदार की खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना सरासर न्यायिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश इल्लीगल इम्प्रोपर व इनकरैक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट दिनांक 02.12.2019 को न्यायालय उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां तारीख पेशी पर हाजिर हुआ तो उसे सर्वप्रथम अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 28.08.2019 की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश कर दी गई है। फिर भी अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे तथा वाकै ग्राम शहर सवाईमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 928/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्बा एवं खसरा नम्बर 928/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्बा कुल किता –2 कुल रकबा 4 बीघा के आवंटन नियमन आदेश दिनांक 07.01.1973 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जावे।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 26.12.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.12.2019 को न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहां नियत पेशी पर उपस्थित आने पर होने व जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 928/1 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा व 928/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, जो कि रैस्पोडेन्ट को आवंटित की गई थी, के वन विभाग के खाते में दर्ज होने के कारण रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर को सुनवाई हेतु स्थान्तरित किये जाने पर अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। जिसमें अपीलान्ट की ओर से जवाब भी पेश किया गया व विभिन्न दस्तावेजात भी संलग्न किये गये। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2019 में उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह माना है कि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम सवाई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

माधोपुर के खसरा नंबर 928 का पूर्ण रकबा राजपत्र में प्रकाशित कर राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है तथा वन विभाग को सुपुर्द भी कर दी गई है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार विवादित आराजी का अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को नियमन से पूर्व ही वन विभाग के नाम दर्ज हो चुका था। इस आधार पर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन/नियमन को प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण अपीलान्टस/अप्रार्थीगण के हक में आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 07.01.1973 को ग्राम आलनपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 928/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व 928/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश दिया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अदालत मातहत में अपीलान्टस को आवंटित भूमि को वन विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं। जहां तक अपीलान्टस की ओर से विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में लम्बित एल.आर.एक्ट की धारा 136 के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो इस तरह का प्रार्थना पत्र लम्बित होने पर 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में निर्णय नहीं किया जा सकेगा। इस तरह का कोई प्रावधान वकील अपीलान्टस द्वारा नहीं बताया गया। इसी प्रकार विवादित भूमि जिसका नियमन अपीलान्टस के पक्ष में किया गया है, पर पुराना कंब्जा होने के आधार पर आवंटन/नियमन को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। किस्म भी गैर मुमकिन पहाड़ी है, जो कि कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। जिसकी पुष्टी स्वयं अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत खसरा प्रबंधनशील सम्वत 2024 व नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26.02.2073 की प्रति से हो रही है। ऐसी स्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गैर मुमकिन पहाड़ किस्म की भूमि जो कि वर्ष 1962 में ही वन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है, को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1973 में अपीलान्टस के हक में नियमित की गई है, को उचित नहीं कहा जा सकता।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल) वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर